संख्या-17/2016/ 1231/सात-न्याय-2-2016-226जी/2008

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2- (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ:दिनांक: 15 सितम्बर,2016

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) की संस्तुतियों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों के कामन कटेगरी की श्रेणी में आने वाले कतिपय पदों को देय एक वेतनवृद्धि पर महंगाई भत्ते की अनुमन्यता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-867/सात-न्याय-2-09-226जी/09, दिनांक 11 मई, 2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों में से कामन कटेगरी की श्रेणी में आने वाले कतिपय पदों पर प्रारम्भिक दर पर वेतन वृद्धि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है । उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-293/सात-न्याय-2-2011-226जी/2008, दिनांक 14 फरवरी, 2011 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सामान्यत: मूल वेतन के अलावा अतिरिक्त वेतन वृद्धि पर महंगाई भत्ता अनुमन्य नही है । तत्क्रम में शासनादेश संख्या-1252/सात-न्याय-2-2013-226जी/2008, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के माध्यम से कर्मचारियों प्रारम्भिक दर के स्थान पर अद्यतन मूल वेतन **(existing pay scale)** पर एक वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है । कतिपय जनपद न्यायाधीशों द्वारा यह स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है कि उक्त वेतनवृद्धि पर महंगाई भत्ता अनुमन्य है अथवा नहीं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2013 की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित कार्मिक को अद्यतन मूल वेतन **(existing pay scale)** पर एक वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उसका वेतन निर्धारित किया जायेगा और इस प्रकार निर्धारित मूल वेतन पर उसे महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा । इस प्रकार शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2013 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य वेतनवृद्धि पर संबंधित कार्मिक को महंगाई भत्ता देय है ।

भवदीय,

ह0/-रंगनाथ पाण्डेय

प्रमुख सचिव ।

संख्या-17/2016/ 1231(1)/सात-न्याय-2-2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1/2 तथा आडिट-1/2
5- वित्त (ई-12) अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
6- न्याय अनुभाग-9(बजट)/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2,उत्तर प्रदेश शासन ।
7- संबंधित समीक्षा अधिकारी ।
8- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

ह0/-मुशीर अहमद अब्बासी

विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।